



INDIA NON JUDICIAL



IN-UP03060792289437V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No.	: IN-UP03060792289437V
Certificate Issued Date	: 01-Sep-2023 04:06 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/Up14530004/ BAREILLY SADAR/ UP-BLY
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1453000401698273153909V
Purchased by	: UTKARSHINI EDUCATIONAL SOCIETY
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: UTKARSHINI EDUCATIONAL SOCIETY
Second Party	: BOARD OF TECHNICAL EDUCATION
Stamp Duty Paid By	: UTKARSHINI EDUCATIONAL SOCIETY
Stamp Duty Amount (Rs.)	: 100 (One Hundred only)

5 11 SEP 2023

V.A. Bhatnagar  
Advocate & Notary  
01191123



Please verify the output below this line



Notary Alert

1. The e-stamp is valid only if you verify it at the website [www.e-stamp.com](http://www.e-stamp.com) or via the e-Stamp Mobile App of Stamp India.
2. The e-stamp is valid only if the data is correct in the file and as available on the website [www.e-stamp.com](http://www.e-stamp.com).
3. The e-stamp is valid only if the e-stamp is not a duplicate of the certificate.
4. In case of any discrepancy, please report to the concerned Authority.

(प्रारूप "अ")

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

हम नरेंद्र सिंह एवं वंदना भारद्वाज क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव उत्कृष्णी एजुकेशनल सोसाइटी शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा उत्कर्ष इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम 8.5 कि०मी०, रामपुर रोड में गाटा संख्या 883, 885, 886, 887, 888, 889 एवं 890 रकबा क्रमशः 0.0890, 0.1520, 0.1520, 0.0126, 0.1317, 0.1390 एवं 0.0474 हेक्टेयर (कुल रकबा 1.0917 हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 883, 885, 886, 887, 888, 889 एवं 890 रकबा क्रमशः 0.0890, 0.1520, 0.1520, 0.0126, 0.1317, 0.1390 एवं 0.0474 हेक्टेयर (कुल रकबा 1.0917 हेक्टेयर) में से गाटा संख्या 887 (रकबा 0.0126 हेक्टेयर), 888 (रकबा 0.1317 हेक्टेयर), 889 (रकबा 0.1390 हेक्टेयर) में से 0.0200 हेक्टेयर) एवं 890 (रकबा 0.0474 हेक्टेयर) कुल रकबा 0.2117 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 25-04-2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

*Narendra Singh*

President

Utkrishni Educational Society  
114, Kali Bari, Barailly (U.P.)

*Vandana*

8. यह कि, इस संस्था में फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमे व इस पर निर्मित भवनों में फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सब प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मनकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अनिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

  
ह० अध्यक्ष  
President  
Ultrasini Educational Society  
1st, Kafi Barfi, Barilly (U.P.)

  
ह० सचिव

I certify that Shri.   
who is identified by Shri.   
sworn & affirmed the contents of the affidavit  
in my presence at Barilly on.../19/23  
further understood the contents.

  
Advocate & Member, Barilly